न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2017 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 07.03.2017

मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री हरी किशन कच्छावा पिता गोपी लाल जी कच्छावा निवासी काछिया खेड़ी पोस्ट बलारड़ा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

कार्यवाहीः- अन्तर्गत पी. डी. आर. एक्ट 1952

उपस्थितिः- 1. श्रीमति वन्दना चौखड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पंकज टेलर, अधिवक्ता विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 24.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी द्वारा केंटीन आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चितौड़गढ़ द्वारा अनुबन्ध में की गई शर्तो पर विपक्षी को चाय स्टाल हेतु केंटीन आवंटन की गई। उक्त केंटीन के लाईसेन्स फीस, सर्विस टैक्स एवं बिजली राशि पेटे विपक्षी के जिम्मे राशि रूपये 3,00,664/- बकाया होने तथा विपक्षी द्वारा यह राशि जमा नहीं कराने से प्रार्थी द्वारा न्यायालय में यह आवेदन पी. डी. आर के तहत राशि वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज टेलर ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब प्रस्तुत होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आगार परिसर में केंटीन चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.02.2014 को अनुबंध पत्र निष्पादित करते हुए विपक्षी को अनुबंध शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु चाय स्टॉल के लिए केंटीन का आवंटन किया गया। उक्त अनुबंध दिनांक 01.02.2014 से 31.01.2015 तक के लिए किया गया। उसके पश्चात्

अनुबंधों की शर्त अनुसार एक वर्ष की अवधि समाप्ति पश्चात् आगामी वर्ष के लिए लाईसेंस फीस पर 10 प्रतिशत राशि बढ़ाते हुए नवीनीकरण किया गया। विपक्षी द्वारा माह अगस्त, 2015 के पश्चात् लाईसेन्स फीस, सर्विस टैक्स एवं विद्युत राशि का भुगतान नहीं किया गया जिससे विपक्षी के पेटे माह सितम्बर, 2015 से फरवरी, 2016 तक राशि 437009/-रू. तथा आंतरिक अंकेक्षण अवधि 2011-13 के पैरा संख्या 23 के अन्तर्गत बकाया राशि 98955/-रू. इस प्रकार कुलिया बकाया राशि 5,35,964/-रूपये निकलते हैं जिसमें से विपक्षी के धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि के रूप में निगम में जमा राशि 2,00,300/-रू. तथा विपक्षी द्वारा माह अप्रेल, 2016 में जमा कराई गई राशि 35,000/-रूपये काटते हुए कुल 3,00,664/- अक्षरे तीन लाख छः सौ चौंसठ रूपये बकाया निकलते हैं जो कि विपक्षी ने निगम में जमा नहीं कराए हैं। बकाया राशि जमा कराने हेतु विपक्षी को समय-समय पर निगम द्वारा सूचना पत्र भी जारी किये गये हैं उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराई गई है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत बकाया राशि मय ब्याज वसूली के आदेश फरमाये जावे।

विपक्षी के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी को केंटीन अलोट होने पर विपक्षी द्वारा दिनांक 20.12.2013 को जरिये रसीद संख्या 367384 राशि 20,000/-रूपये तथा दिनांक 28.12.2013 को तीन माह की अग्रिम सुरक्षा राशि 1,80,300/-रूपये जरिये रसीद संख्या 0225516 के द्वारा जमा कराये। विपक्षी उक्त केंटीन का उपयोग अक्टूबर, 2015 तक करता रहा उसके पश्चात् उक्त केंटीन चलाने में अपनी ओर से असमर्थता जाहिर की और दिनांक 02.11.2015 को एक प्रार्थना पत्र विपक्षी ने निगम को केंटीन सिपूर्द करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर निगम द्वारा दिनांक 16.11.2015 को रिसीव का अंकन किया था। विपक्षी ने उक्त केंटीन का अक्टूबर, 2015 के बाद उपयोग नहीं किया है। प्रार्थी, विपक्षी से सितम्बर, 2015 व अक्टूबर, 2015 के लाईसेंस फीस, सर्विस टैक्स व विद्युत राशि वसूल करने की अधिकारी है जिसकी कुलिया राशि 1,56,286/-रू. बनती है जिसके पेटे विपक्षी के अमानत राशि व तीन माह की सुरक्षा राशि पूर्व मे ही जमा है जो कुल मिलाकर 2,00,300/-रू. बनती है जिसका सितम्बर से अक्टूबर, 2015 तक की बकाया राशि मे समायोजन करने के बाद भी प्रार्थी 44,014/-रू. प्राप्त करने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चित्तौड़गढ़ एवं विपक्षी के मध्य हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार विपक्षी ने माह अगस्त, 2015 के बाद बकाया लाईसेन्स फीस, सर्विस टैक्स एवं विद्युत राशि का भुगतान नहीं किया है तथा उक्त तथ्य को विपक्षी ने भी स्वयं स्वीकार किया है।

जहां तक विपक्षी द्वारा माह अक्टूबर, 2015 तक ही केंटीन का उपयोग करने, दिनांक 02.11.2015 को केंटीन चलाने में असमर्थता जाहिर करते हुए पुनः केंटीन सिपूर्द करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा उस पर निगम द्वारा दिनांक 16.11.2015 में रिसीव/प्राप्ति का अंकन करने संबंधी कथन का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि विपक्षी द्वारा अपने कथन की पुष्टि मे ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके माह अक्टूबर, 2015 तक ही केंटीन उपयोग करने के कथन की पुष्टि होती हो।

यहां हम निगम एवं विपक्षी के मध्य हुए अनुबंध की शर्त संख्या 25 का उल्लेख करना चाहेंगे जिसके अनुसार **"यदि स्टॉलधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।"** इस शर्त के अनुसार यदि विपक्षी केंटीन का संचालन करने में समर्थ नहीं था तो उसे केंटीन बन्द करने के तीन माह पूर्व जुलाई, 2015 में निगम को नोटिस देकर सूचित किया जाना चाहिए था जो कि विपक्षी ने नहीं किया है। विपक्षी के कथनानुसार उसके द्वारा दिनांक 02.11.2015 को केंटीन पुनः सिपूर्द करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन किया है वहां भी अनुबंध की शर्त संख्या 25 प्रभावी है जिसके अनुसार नवम्बर, 2015 में केंटीन पुनः सिपूर्द करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो उसके तीन माह पश्चात् माह फरवरी, 2016 में केंटीन बन्द करने की पुष्टि होती है।

जहां तक विपक्षी के द्वारा धरोहर राशि 20,000/-रूपये एवं तीन माह की अग्रिम सुरक्षा राशि 1,80,300/-रूपये जमा कराये जाने का प्रश्न है, निगम द्वारा जो वसूली योग्य राशि बताई गई है उसमें से 20,000/-रूपये धरोहर राशि, तीन माह की अग्रिम सुरक्षा राशि 1,80,300/-रूपये तथा विपक्षी द्वारा माह अप्रेल, 2016 में निगम में जमा कराए गए 35,000/-रूपये कम करने के पश्चात् ही बकाया वसूली योग्य राशि 3,00,664.00/-रूपये बताई गई है। उपरोक्त विवेचन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के आधार पर विपक्षी द्वारा माह फरवरी, 2016 तक केंटीन का उपयोग करने की पुष्टि होती है जिससे विपक्षी के जिम्मे राशि 3,00,664/-रू. बकाया वसूली योग्य है। उक्त बकाया वसूली योग्य राशि जमा कराये जाने हेतु मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चित्तौड़गढ़ ने विपक्षी को समय-समय पर जरिये सूचना पत्र कमांक 5603 दिनांक 17.12.15, 231 दिनांक 21.01.16, 583 दिनांक 17.02.16 एवं 6129 दिनांक 04.11.16 से सूचित भी किया है उसके पश्चात् भी विपक्षी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराई गई है जिससे यह राशि वसूली योग्य है।

निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आवेदन में अंकित विभाग की बकाया राशि 3,00,664/- रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज तथा नियमानुसार 10 प्रतिशत कोस्ट राशि विपक्षी से वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त राशि की वसूली हेतु तहसीलदार, कपासन को मांगपत्र प्रेषित किया जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)

FORM N0.2
Certificate of Public Demand
(See Section.4)
Office of The Collector, Chittorgarh

No.of Certificate	Name and address of authority sending requisition	Name and address of defaulter	Amount of public demand including interest if any for whit this certificate singed and periord of with such demand is due	Further particulasr of public demand for wich this certificate is singed
17/2017 रेवेन्यू विविध	मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चित्तौड़गढ़	श्री हरी किशन कच्छावा पिता श्री गोपी लाल जी कच्छावा निवासी काछिया खेड़ी पोस्ट बलारड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़	अनुबन्ध की शर्त अनुसार लाईसेन्स फीस, सर्विस टैक्स एवं विद्युत राशि का भुगतान नहीं करने से वसूली योग्य राशि 3,00,664/-	नियमानुसार ब्याज व कोस्ट

I here by certify that the above-mentioned sum of Rs. 300664/- is Due from the above named.

I further certified that the above mentioned sum of Rs. 300664/- is justly recoverable and that its recovery by suit is not barred by law

Dated this 24th day of July, 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़